न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 51/2017
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना कियान्वयन इकाई एन.एच.11 दौसा जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच.11, पी.आई.यू. दौसा
......प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश बिहारी पुत्र गौरीशंकर कलाल जाति कलाल निवासी महवा तहसील महवा जिला दौसा
2. सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी, महवा

...अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड आदेश दिनांक 2.11.2010 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 सक्षम प्राधिकारी महवा

उपस्थित–1. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक: 23.06.2023

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा के पारित अवार्ड आदेश दिनांक 2.11.2010 से असंतुष्ट होकर यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली से जॉच टिप्पणी मंगवाई गई। अप्रार्थी सं0 1 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि भारत सरकार के केन्द्रीय जल, भू–तल, परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के 110.500 कि0मी0 से 119.600 कि०मी० के भरतपुर महुवा खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने, फोरलेनीकरण करने के लिये परिसंचलन हेतु राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ती के कृत्यों का पालन करने के लिये अप्रार्थी सं. 02 उपखण्ड अधिकारी महुवा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.06.2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी जिसका राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 01.11.2009 व 31.10.2009 को उपधारा 3 के प्रावधानों के तहत प्रकाशन कराया गया। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 481 वाके ग्राम हडिया में से 92.90 वर्ग मीटर भूमि अर्जन हेतु अवाप्ति बाबत् अधिसूचना जारी की गयी थी। उक्त भूमि के अर्जन हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 23.06.2009 को जारी की गयी थी तथा उक्त 3ए अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर दैनिक सामचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 481 वाके ग्राम हडिया में से भूमि अर्जन हेतु वांछित 92.90 वर्ग मीटर भूमि बाबत केन्द्र

....निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

प्रा.पत्र सं 51 / 2017

सरकार द्वारा प्रकाशित 3ए अधिसूचना दिनांक 23.06.2009 में अप्रार्थी सं. 01 की भूमि की प्रकृति बारानी थी जो कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अंकित थी। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत उक्त धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 23.06.2009 के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित समयावधि में कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी। इस प्रकार धारा 3ए में अंकित भूमि की किस्म व अन्य सभी प्रकार से अंकित प्रावधान अप्रार्थी सं. 01 पर बाधित हो गये। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3ए अधिसूचना दिनांक 23.06.2009 के परिपेक्ष में प्राप्त समस्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी बाबत भूमि अधिग्रहण की घोषणा हेतु केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गयी। जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 09.04.2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के भरतपुर महुवा खण्ड के संबंध में अप्रार्थी सं. 02 सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 09.04.2010 को जारी किया गया तथा उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में अंतिम रूप से निहित हो गयी। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 01 की भूमि आराजी खसरा नं. 481 अवाप्त रकबा 92.90 वर्ग मीटर भी केन्द्र सरकार में अंतिम रूप से निहित हो गयी। उक्त धारा 3डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है जिसमें अप्रार्थी सं. 01 की भूमि भी सम्मलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। धारा 3 सी (3) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने जो सुनवाई कर आदेश पारित किये है वे अंतिम हो गये उनको परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार स्वयं सक्षम अधिकारी को भी नही है। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.04.2010 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी। उक्त अधिसूचना में अप्रार्थी सं. 01 की अवाप्त शुदा भूमि की किस्म बारानी अंकित है जो कि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित है जिससे भी यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 02.11.2010 स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के विपरीत है। इस कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जिसमें की [illegible] खसरा नं. 481 की 92.90 वर्ग मीटर भूमि को बिना किसी आधार के अधिनि[illegible] विरूद्ध जाकर बारानी के स्थान पर व्यावसायिक दर के आधार पर [illegible] जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम [illegible] के अनुसार धारा 3डी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार में निहित [illegible] सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण रख रखाव प्रबन्धन अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन अथवा उसके किसी भाग अथवा उससे संबंधित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रा.पत्र सं 51/2017

तैयार कर अधिनियम की धारा 3डी की अधिसूचना बाबत् रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गयी थी। जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.04.2010 को भूमि अधिग्रहण वास्ते अधिसूचना जारी की गयी थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा करायी गयी सर्वे रिपोर्ट पर आधारित थी । ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी स्वयं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बाधित है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए व 3डी अधिसूचना में उक्त आराजी खसरा नं. 481 की किस्म बारानी अंकित है। सक्षम प्राधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर एवं अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्टतया विरुद्ध जाकर आराजी खसरा नं. 481 के 92.90 वर्गमीटर अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी की मुआवजा राशि का निर्धारण व्यावसायिक दर के आधार पर अप्रार्थी सं. 01 को गलत तरीके से फायदा पहुचाने के उद्देश्य से अवार्ड आदेश पारित किया है व जो अवाप्त भूमि की प्रकृति परिवर्तन करते हुये भूमि की मुआवजा राशि की दर व्यावसायिक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई हैं वह भी डी.एल. सी. की दर से भिन्न व बढ़ाकर तय की गई हैं जो कि निरस्तनीय है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जो कि अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में पारित किया है वह एक नॉन स्पीकिंग अवार्ड है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड निरस्तनीय है। सक्षम प्राधिकारी महोदय द्वारा अपने अवार्ड में यह भी कही स्पष्ट अंकन नही किया कि उक्त विवादित भूमि जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज थी को किस आधार पर बदलकर व्यावसायिक मानकर आवर्ड आदेश पारित किया और यह भी उल्लेखित नही किया कि अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण किस दर से कौनसी डी.एल.सी. दर लगाकर अवार्ड निर्धारण किया। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश अस्पष्ट होने के कारण काबिले निरस्तनीय हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा हेतु जो अवार्ड निर्धारण किया जाता है वह अवाप्त की गई भूमि की तत्समय की डीएलसी दर व भूमि की किस्म के आधार पर किया जाता है परन्तु सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रकरण में अवाप्त की गई भूमि के खसरा नम्बर के अवार्ड आदेश में कहीं भी भूमि की डीएलसी दर का उल्लेख नही किया जबकि अन्य खसरा नम्बरान् के अवार्ड में डीएलसी दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया है। उल्लेखनीय है कि सक्षम प्राधिकारी महोदय ने अवाप्त की गई भूमि की किस्म बारानी से व्यावसायिक में परिवर्तन कर दी गई और भूमि की किस्म परिवर्तित करके भी अवाप्त भूमि का मुआवजा किस दर से निर्धारण किया गया का कहीं स्पष्ट अंकन नही है इस वजह से सक्षम प्राधिकारी का अवार्ड आदेश अस्पष्ट होने की वजह से निरस्तनीय है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा निर्धारण किया है, वह डी एल सी दर के हिसाब से निर्धारित नही किया गया है, ओर कानूनन डी एल सी दर ही मार्केट वेल्यू (बाजार दर) होती है, जिसे राजस्थान स्टांप रूल्स 2004 की धारा 2 (इ) में परिभाषित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि का मुआवजा डी एल सी दर से अदा किया जाना था, किन्तु उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी महोदय भूमि की किस्म परिवर्तित कर मनमर्जी से भूमि का अवार्ड आदेश पारित किया है जो कि विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण [illegible] पत्र को स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 02.11.2010 वह भाग जिसमें अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में अवार्ड आदेश पारित फरमाया है, को निरस्त [illegible] माने की कृपा करे एवं उक्त अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजीयात का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी की दर के आधार पर निर्धारित करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

अप्रार्थी के अधिवक्ता को बार–2 अलग–अलम समय पर आवाज दिलवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के भरतपुर महवा खंड के चौडाईकरण हेतु ग्राम महवा की आराजी खसरा नंबर 481 में से 92.90 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। अवाप्त भूमि की किस्म तत्समय राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज थी, परन्तु अप्रार्थी कैलाशबिहारी के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं संपरिवर्तन आदेश एवं विक्रय पत्र की प्रति भी पेश की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखड अधिकारी महवा द्वारा उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाकर एवं मौके की स्थिति के अनुसार तथा प्रस्तुत विक्रय पत्र की दर से मुज़ावजा आदेश डीएलसी दर से भिन्न पारित किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा पारित अवार्ड आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 के अनुपस्थित रहने से हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 9.4.2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम हडिया तहसील महवा स्थित भूमि ख0नं0 481 में से फोरलेन हेतु 92.90 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। धारा 3 ए की अधिसूचना में उक्त अवाप्त भूमि की किस्म बारानी दर्ज थी। खसरा नंबर 481 में से कितनी भूमि का कब एवं किसके द्वारा संपरिवर्तन किया गया यह पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी कैलाशबिहारी द्वारा 3 ए की अधिसूचना के पश्चात 21 दिन की समयावधि में भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आपत्ति के आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा ने तहसीलदार महवा एवं पटवारी हलका महवा की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण मौके की स्थिति एवं विक्रय पत्र की दर से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया है। भूमि को व्यवासयिक मानकर एवं प्रचलित डी0एल0सी0 दर को दरकिनार करते हुए बाजार दर जो कि विक्रय पत्र को आधार मानकर व्यावसायिक दर 16146/–रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किया है। भूमि की प्रचलित बाजार दर माने जाने का सर्वमान्य सिद्धान्त डी0एल0सी0 दर है। प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 481 में से भूमि रूपांतरण किये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जबकि सक्षम प्राधिकारी महवा द्वारा अवाप्त भूमि 92.90 वर्गमीटर का व्यावसायिक दर से अवार्ड पारित किया गया है, जो न्यायोचित नही माना जा सकता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा मुआवजा अवार्ड पारित करने में प्रचलित डी0एल0सी0 दर को आधार नहीं माना जाकर विक्रय पत्र के आधार पर बाजार दर तय कर मुआवजा अवार्ड पारित किया गया है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible]स्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधि[illegible] द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड दिनांक 2.11.2010 के उस भाग [illegible] है जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अवाप्त भूमि का मुआव[illegible] अवार्ड आदेश पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा [illegible] प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि का भूमि की राजस्व अभिलेख में दर्ज किस्म के अनुसार

....निरंतर 5 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र सं 51/2017

तत्समय प्रचलित डी.एल.सी.दर से मुआवजा अवार्ड आदेश 60 दिवस के भीतर–2 पारित करे। अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 23 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested